रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2001/फाल्गुन 18, 1922
No. 66] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2001/PHALGUNA 18, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2001

अंतिम निष्कर्ष

विषय : चीन से ट्रिमेथोप्रिम (टीएमपी) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 9/1/2000-डी जी ए डी.—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए ;

क. **प्रक्रिया**

1. प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन से ट्रिमेथोप्रिम के आयातो से संबंधित पाटनरोधी जांच के बारे मे दिनांक - की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचित किए थे और हितबद्ध पक्षों से अनुरोध किया था कि वे इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।

(ख) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षो को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उक्त निष्कर्षों पर अपने विचार, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था,

(ग) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों को 15/12/2000 को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था । मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त् किए गए अपने विचारों को लिखित में प्रस्तुत करें । पक्षों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर उन पर अपनी प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें । मौखिक सुनवाई में केवल याचिकाकर्त्ता उपस्थित हुए थे ।

(घ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों को वह सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराई जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी पक्षों के अगोपनीय अंश एवं दिए गए तर्क निहित थे ।

(ड.) याचिकाकर्त्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और/अथवा इन निष्कर्षों में समुचित कार्रवाई की गई है;

(च) उपरोक्त नियम 16 के अनुसार, इन निष्कर्षों के लिए जिन आवश्यक तथ्यों/आधार पर विचार किया गया था उनकी जानकारी हितबद्ध पक्षों को दी गई थी और उन पर प्राप्त टिप्पणियो (केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत) पर इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।

(छ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त *** चिह्न गोपनीयता के आधार पर किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना को प्रदर्शित करता है और प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना गया है ।

(ख) <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ट्रिमिथोप्रिम(टीएमपी) है, जो एक कार्बनिक रसायन है । यह एक बल्क एण्टी बैकटरिया भेषजीय तत्व है जिसका प्रत्यक्ष उपयोग नुस्खे बनाने में किया जाता है । टीएमपी के नुस्खे का प्रयोग सल्फामेथोसाजोल के संयोजन में किया जाता है । टीएमपी का इस्तेमाल भार में 1 : 5 के अनुपात में सल्फामेथोक्साजोल के संयोजन के साथ किया जाता है । ट्रिमेथोप्रिम का कोई व्यवहारिक प्रतिस्थापन नहीं है । टीएमपी का रसायनिक सूत्र निम्नानुसार है :

5 - (3,45 - ट्रीमथोम्सी बेन्जाइल) पीरीमिडिन 2,4 डायमाइन (सी। एच। एन 4 ओ 3)

टीएमपी के उत्पादन में चार चरण शामिल होते हैं । ये हैं अभिवृद्धि, सान्द्रता, साइक्लाइजेशन एवं शुद्धिकरण ।

टीएमपी का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के विशिष्ट सीमा उप-शीर्ष सं. 293359.02 के अंतर्गत किया गया है ।

प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं ।

ग. समान वस्तुएं

3. ट्रिमेथोप्रिम (टीएमपी) एक कार्बनिक रसायन है । यह एक बल्क एण्टी-बैक्टेरिया भेषजीय तत्व है जिसका पत्यक्ष उपयोग नुस्खों के निर्माण में किया जाता है । इसका उपयोग विशेषतौर पर सामान्य उपचार के अलावा मूत्र संबंधी संक्रमण के उपचार में किया जाता है । टीएमपी के नूस्खे का प्रयोग सल्फामेथोसाजोल के संयोजन में किया जाता है । तथापि ट्रिमेथोप्रिम के उत्पादन की प्रक्रिया उपकरण अथवा प्रौद्योगिकी में कोई विशेष अंतर नहीं है ।

इस बात की पुष्टि करने के लिए कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीएमपी चीन से निर्यातित टीएमपी के समान वस्तु हैं, प्राधिकारी द्वारा तकनीकी विनिर्देशन, निर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोग एवं टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं पर विचार किया गया है ।

प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि इस बात का खण्डन करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीएमपी में आयातित सामग्री से मिलती जुलती विशेषताएं है और वह वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों रूप से संबद्ध देश से आयातित टीएमपी का प्रतिस्थापन है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीएमपी को नियम 2 (घ) के अर्थो के भीतर चीन से निर्यातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है ।

उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी समान वस्तुओं के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचार

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के बारे में किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है । यह दोहराया जाता है कि ट्रिमेथोप्रिम को कई सीमा शुल्क उप-शीर्षों के तहत मंजूरी दी जा रही है । निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह अध्याय 29 के तहत आने वाली वस्तु के सभी आयातो पर शुल्क लगाएं । संगत अध्याय के तहत आने वाले उत्पादों पर न कि विशिष्ट उप वर्गीकरणों पर शुल्क लगाने की सिफारिश करने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की विगत में परम्परा रही है । उपरोक्त के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करें ।

घ. घरेलू उद्योग

4. यह याचिका मैसर्स अल्फा ड्रग्स इंडिया लि, पटियाला और मैसर्स इन्वेंटा कैमिकल्स लि. हैदराबाद द्वारा दायर की गई है जिसमें चीन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित ट्रिमेथोप्रिम (टीएमपी) का पाटन किए जाने का आरोप लगाया गया है । रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने प्राधिकारी को सूचित किया है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विनिर्माताओं की सूची और वर्ष 1996-97, 97-98 और 98-99 के दौरान उनका उत्पादन (मी. टन में) नीचे दर्शाया गया है :-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	स्थापित क्षमता	96-97	97-98	98-99
1.	बुरोह वैलकम	उ. नहीं	78.65	92.35	3.60
2.	जर्मन रिमेडीज	उ. नहीं	3.28	0.56	उ. नहीं
3.	आईपीसीए	उ. नहीं	19.02	उ. नही	उ. नहीं
4.	सोल फार्मा	उ. नहीं	11.93	उ. नही	उ. नही
5.	इन्वेंटा कैमिकल्स	उ. नहीं	115.94	138.12	280.17
6.	अल्फा ड्रग लि.	उ. नहीं	140.91	134.61	201.26

(उ. न.-उपलब्ध नहीं)

जांच अवधि के लिए उत्पादन के आंकड़े संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, उपरोक्तानुसार उत्पादन की प्रणाली का आकलन करने से वर्ष 1998-99 में टीएमपी के उत्पादन में याचिकाकर्त्ताओं का एक प्रमुख हिस्सा बनता था ।

याचिकाकर्त्ताओं ने बताया है कि वर्ष 1999-2000 (दिसम्बर,99 तक) में विभिनन उत्पादको द्वारा किया गया टीएमपी का उत्पादन नीचे दिया गया है :-

उत्पादक	1999-2000 (दिस, 99 तक)
याचिकाकर्त्ता	
अल्फा ड्रग्स लि.	158.64 मी. टन
इन्वेंटा कैमिकल्स	138.47 मी. टन
उप जोड़	297.11
हिस्सा	73.41 %
समर्थक	
आईपीसीए लैब	32.60
याचिकाकर्त्ता एवं समर्थक-कुल	329.71
हिस्सा	81.46 %
अन्य	
जोरा फार्मा	75
कुल भारतीय उत्पादन	५०५ 71

याचिका में प्रस्तुत उत्पादन संबंधी आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि में केवल याचिकाकर्त्ताओं का कुल उत्पादन का 73.41% और अपने समर्थक मैसर्स आईपीसीए लैब के साथ मिलकर उत्पादन का 81.46% हिस्सा बनता है ।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रकार याचिकाकर्त्ता "घरेलू उद्योग" है और उसके पास नियमानुसार वर्तमान याचिका दायर करने का अपेक्षित आधार है ।

प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा छ-8 में यथा उल्लिखित घरेलू उद्योग के बारे में बताई गई स्थिति की पुष्टि करते हैं ।

ङ. पाटन

क. सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचार

चीन के निर्यातक/उत्पादक से कोई उत्तर न प्राप्त होने की स्थिति में सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर करना पड़ा है । संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा जॉच में भाग न लेने से घरेलू उद्योग के इन विचारों की पुष्टि होती है कि निर्यातक भारतीय बाजार में उत्पाद की डम्पिंग कर रहे थे ।

प्राधिकारी के विचार

प्राधिकारी का यह मानना है कि चीन के निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र मे प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और उन्होंने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । अतः प्राधिकारी निर्यातकों को असहयोगी मानते है और उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कार्रवाई की है ।

याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया था कि चीन के सामान्य मूल्य को ट्रिमेथोप्रिम की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर स्वीकार किया जाय । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को परिकलित लागत निर्धारित करने के लिए बाध्य होना पड़ा । अंतिम निष्कर्षो के प्रयोजन से चीन के परिकलित सामान्य मूल्य को अब जांच अवधि के दौरान । अमरीकी डालर - 43.03 रूपए की औसत विनिमय दर के हिसाब से *** अमरीकी डालर/मी. टन अथवा *** रूपए/मी. टन माना जा रहा है ।

(ख) निर्यात कीमत

प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के मुताबिक सीआईएफ कीमत का निर्धारण *** रूपए/किग्रा. किया गया है । कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण समुद्री भाड़े के रूप में 0.50 अमरीकी डालर किग्रा. (याचिकाकर्त्त के अनुभव के आधार पर), समुद्री बीमा प्रभारों के रूप में 0.5% , चीन में एजेंट के लिए 2% की दर से कमीशन, पैकेजिंग लागत के रूप में 0.5% और भारतीय अनुभव के अनुसार हैंडलिग और पत्तन प्रभारों के लिए 2% को हिसाब में लेने के बाद किया गया है । तथापि, दस्तावेजी साक्ष्यों और याचिकाकर्त्ताओं के निर्यातों पर आधारित साक्ष्यों के अभाव में प्राधिकारी द्वारा चीन के उत्पादकों द्वारा क्रमशः अपने समुद्री पत्तनों तक खर्च किए जाने वाली संभावित 2% की दर से रिववहन लागत और भारतीय इंडेटिंग एजेंट के लिए 3% की दर से कमीशन के बारे में याचिकाकर्त्ता द्वारा किए गए दावे की अनुमति नहीं दी गई है ।

इन कारणों के लिए किए गए समायोजनों के पश्चात् कारखानागत एफओबी निर्यात कीमत 43.03 रूपए/अमरीकी डालर की औसत विनिमय दर पर *** रूपए/किग्रा. अथवा *** अमरीकी डालर/किग्रा. होने का अनुमान है ।

(ग) पाटन मार्जिन

प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I में यथा निर्धारित समान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों को अपनाने की संगत नीति का अनुसरण किया है । ऊपर यथा निर्दिष्ट सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों के आधार पर प्राधिकारी ने चीन के सभी निर्यातकों के मामलों में पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया है जो नीचे सारणी में दिया गया है :-

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/किग्रा.)	निर्यात कीमत अमरीकी डालर/किग्रा.	पाटन मार्जिन (%)
चीन	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	87.42

(घ) **क्षतिः-**

5. **घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्कः-**

प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा ख-2 में किए गए उल्लेखानुसार और मौखिक सुनवाई के पश्चात् घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा हैः-

(i) चीनी उत्पादक कुछ समय से भारतीय बाजार को टीएमपी का निर्यात कर रहे हैं । निर्यातक ने हाल ही में अपनी कीमतों में कटौती करनी शुरू की है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । यह एक सर्वविदित तथ्य है कि चीन के विनिर्माता अपनी वस्तुओं का निर्यात सीधे नहीं कर सकते हैं । ऐसे अनेक बड़े, मझौले और लघु व्यापार घराने है जो बैध निर्यात लाइसेंस धारक हैं । अतः चीन के व्यापारियों द्वारा टीएमपी का बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता है ।

(ii) आयातों की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण बात आयातों की कीमतों का प्रभाव है । चीन के निर्यातकों ने कीमतों में काफी कमी कर दी है जो निम्नलिखित सारणी एवं ग्राफ से देखी जा सकती हैः-

देश	निर्यात कीमत
अगस्त 1996	972
जनवरी 1997	913
मई 1997	901
जून 1997	896
जुलाई 1997	874
दिसम्बर 1997	834
अगस्त 1999	619
अक्तूबर 1999	500
नवम्बर 1999	450
दिसम्बर 1999	450

स्रोतः नवम्बर-दिसम्बर, 1999 रसायन साप्ताहिक एवं महर्षि विश्वेशरैया औद्योगिक अनुसंधासन एवं विकास केन्द्र (एमवीआईआरडीसी सामयिक पत्रिका, विश्व व्यापार केन्द्र, मुम्बई)

(iii) चीन और भारत विश्व में टीएमपी के दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं । भारत और चीन दोनों देश इस आवश्यक थोक औषधि का अनेक देशों को निर्यात कर रहे हैं । यह तथ्य कि चीन टीएमपी का पाटन कर रहा है की पुष्टि मात्रा टीएमपी का निर्यात कीमत उन कीमतों से काफी अधिक है जिन कीमतों पर चीन द्वारा भारत को इसका निर्यात किया जा रहा है ।

(iv) चीन, भारत को टीएमपी का नियात करने वाला एक प्रमुख देश है । भारत में होने वाले टीएमपी के आयातों में चीन से होने वाले आयातों का हिस्सा वर्ष 1996-97 से सबसे अधिक रहा है और यह हिस्सा लगभग स्थिर बना हुआ है । चीन के निर्यातक इस सामग्री का निर्यात अत्यधिक पाटित कीमतों पर कर रहें जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से भी काफी कम है ।

(v) याचिकाकर्त्ताओं का क्षमता उपयोग बिक्री में कमी के कारण घटता रहा है ।

(vi) सीमाशुल्क/आईटीसी वर्गीकरण पर विचार किए बिना ट्रिमेथोप्रिम पर भी अंतिम शुल्क लगाया जाय क्योंकि अनेक सीमा शुल्क उप-शीर्षों के तहत आयातों को मंजूरी दी जा रही है ।

(vii) चीन के किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कोई उत्तर दायर नहीं किया है । परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की जा सकती है ।

(viii) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह भारतीय एजेंटों के लिए कमीशन और चीन में स्वदेशी परिवहन लागत के कारण समायोजनों की अनुमति दें ।

(ix) आयातों में समग्र रूप से काफी वृद्धि हुई है । आयात मुख्य रूप से चीन से हुए हैं । अन्य देशों से बहुत कम आयात हुए हैं । अन्य देशों से जो आयात हो रहा है वह काफी अधिक कीमतों पर हो रहा है । आयातों से कीमतों में भारी कटौती हो रही है ।

(x) वर्ष 1998-99 में कीमतों में कमी होने से घरेलू उद्योग को बिक्री बढ़ाने में मदद मिली थी । तथापि, प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कम्पनियों की लाभप्रदत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । अतः याचिकाकर्त्ता कम्पनियों को इन घटती हुई कीमतों के फल स्वरूप अधिक नुकसान उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा अथवा वे लाभ की स्थिति से घाटे की स्थिति मे आ गई थी ।

(xi) प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ निर्धारित नुकसान रहित कीमत कम प्रतीत होती है और इसमें जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत बमुश्किल शामिल किया गया है । अनुरोध है कि नुकसान रहित कीमत में समुचित वृद्धि करने पर विचार किया जाय ।

(xii) सभी आर्थिक मापदण्ड संयुक्त एवं संचयी रूप से यह प्रमाणित करते हैं कि घरेलू उद्योग को चीन से हुए आयातों से वास्तविक नुकसान हुआ हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है ।

6. <u>क्षति</u>

भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध-II (iv) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार किया जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जैसेकि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभ प्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि जिनके बारे मे प्रारंभिक निष्कर्षों में यथा उल्लिखित ब्यौरा नीचे पुनः उद्धृत किया गया है :-

(क) **आयातों की मात्रा**

	1997-98	1998-99	1999-2000 दिस- 99 तक
कुल आयात	28,429	1575	23,903
चीन	26,799	1575	23,381
अन्य देश	1630 (इटली)		522 (यू.के.)

वर्ष 1999-2000 (दिसम्बर, 2000 तक) में टीएमपी के कुल आयातों मे वर्ष 1997-98 की तुलना में 1517% की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार आयातों की मात्रा जांच अवधि के दौरान काफी अधिक हो गई है ।

वर्ष 1999-2000 (दिसम्बर, 2000 तक) में चीन से हुए आयातों की मात्रा 1998-99 की तुलना में 1484.5% तक पहुँच गई है । वर्ष 98-99 के दौरान आयात अनन्यतः चीन से हुए थे । वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (दिसम्बर, 2000 तक) में हुए कुल आयातों में चीन का हिस्सा क्रमशः 94.2% 100% और 97.8% रहा था ।

(ख) **उत्पादन एवं क्षमता उपयोग**

याचिकाकर्त्ताओं की उत्पादन क्षमता वास्तविक उत्पादन एवं उपयोग निम्नानुसार रहा था :-

याचिकाकर्त्ता	वर्ष	स्थापित क्षता (मी. टन)	उत्पादन (मी.टन)	क्षमता उपयोग %
अल्फा ड्रग्स	1997-98	240	134.62	56.09
इन्वेंटा		300	300	100
कुल		540	434.62	80.4
अल्फा	1998-99	240	200.75	83.65
इन्वेंटा		300	209.33	69.77
कुल		540	482.75	89.39

अल्फा	1999-2000 (दिसम्बर,99तक)	180	158.64	88.13
इन्चेंटा (अपनी क्षमता 300 मी.टन से 450 मी. टन तक बढ़ाई)		337	138.47	41.08
कुल		517	297.11 मी.टन वार्षिक 396.14 मी. टन	57.46% वार्षिक 76.61 %

यद्यपि याचिकाकर्त्ता की स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है तथापि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और उत्पादन में गिरावट आई है ।

(ग) बिक्रियां और बाजार हिस्सा

यह पाया गया है कि वर्ष 97-98, 98-99 और 1999-2000 (दिसम्बर, 2000 तक) टीएममी की मांग क्रमशः4,50,438 किग्रा. 549,806 किग्रा. और 3,70,628 किग्रा. की थी । जांच अवधि के दौरान वार्षिक मांग 4,83,504 किग्रा. की थी । कुल मांग में आयातों का हिस्सा वर्ष 97-98, 98-99 और 99-2000 (दिसम्बर, 2000 तक) में क्रमशः 6.1% , 0.29% और 6.6 % रहा था । वर्ष 97-98, 98-99 और 99-2000 (दिसम्बर, 2000 तक) में याचिकाकर्त्ता का हिस्सा क्रमशः 58.77%, 66.81% और 71.17% रहा था ।

टीएमपी की उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री होने से याचिकाकर्त्ता को लाभ में भारी घाटा हुआ । बिक्री कीमतें (रूपए/किग्रा.) निम्नानुसार थी :-

याचिकाकर्त्ता	97-98	98-99	99-2000(जांच अवधि)
अल्फा			
बिक्री कीमत	***	***	***
इन्वेंटा			
बिक्री कीमत	***	***	***

अतः इकाई बिक्री कीमतों में गिरावट का रूख रखा

(घ) अंतिम स्टाक

यह पाया गया है कि याचिकाकर्त्ता का अंतिम स्टॉक 96-97 की तुलना में 97-98 में 124% तक की वृद्धि हुई थी । उसमें 97-98 के अंतिम स्टॉक के स्तर से 98-99 और 99-2000 में गिरावट आई । जाँच अवधि में अल्फा ड्रग्स का अंतिम स्टॉक ---- हिस्सा 61.26% जबकि इन्वेंटा का 38.73% था ।

अंतिम स्टाक (एमटी)	96-97	97-98	98-99	99-2000 (जांच अवधि)
अल्फा ड्रग्स	20.59	24.49	20.74	15.91
इन्वेंटा	1.88	3.57	5.97	10.06
कुल	22.47	28.06	26.71	25.97

(ड.) कीमतों में कटौती और कीमतों में ह्रास

याचिकाकर्त्ता ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में लगभग 35% तक की गिरावट आई है । वर्तमान कीमतें पूरी लागत प्राप्त करने के लिए उपर्याप्त हैं और औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कीमतों से काफी कम हैं । ये कीमतें न केवल डीपीओ से कम है अपितु उत्पादन लागत से भी कम है जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को भारी वित्तीयघाटा हुआ है । इसके अलावा, संबद्ध देश से जो आयात हुए हैं उनसे घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है क्योंकि आयातित सामग्री की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जैसाकि नीचे की सारणी में उल्लेख किया गया है :-

रूपए/किग्रा.

वर्ष	बिक्री प्राप्ति	आयातों की पहुँच कीमत
1997-98	***	1023
1998-99	***	1279
1999-2000	***	682

(च) <u>लाभप्रदत्ता</u>

घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें अपनी उत्पादन लागत से कम रखने के लिए बाध्य किया गया है जिसके फलस्वरूप काफी वित्तीय नुकसान हुआ था । घरेलू बाजारों में उद्योग द्वारा की गई बिक्रियों से घरेलू उद्योग को हुए प्रति एकक लाभ/हानि से घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्पष्ट होती है जो नीचे दर्शायी गई है :-

रूपए/किग्रा.	97-98	98-99	99-2000 (जांच अवधि)
अल्फा ड्रग्स			
उत्पाद लागत	***	***	***
बिक्री कीमत	***	***	***
लाभ/हानि	(103)	(191)	(183)
इन्वेंटा			
उत्पाद लागत	***	***	***
बिक्री कीमत	***	***	***
लाभ/हानि	78.76	55.80	(249.67)

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम निष्कर्षों के पैरा ट.13 पर क्षति के बारे में दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं-

(क) संबद्ध देश से हुए आयातों की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) याचिकाकर्त्ताओं के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि आयातों में वृद्धि हुई है;

(ग) याचिकाकर्त्ताओं के क्षमता उपयोग में कमी आई है;

(घ) याचिकाकर्त्ताओं को अपनी क्षति रहित कीमत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया गया है जिससे उन्हें घाटा हुआ है;

(ड.) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है;

(च) घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त बेशी स्टॉक पड़ा हुआ है ।

अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है

7. कारणात्मक संबंध

प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को जो वास्तविक क्षति हुई है वह संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण हुई है । चीन, भारत को ट्रिमेथोप्रिम का निर्यात करने वाला प्रमुख देश है और जांच अवधि से पहले और जांच अवधि में चीन से हुए आयातों की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (दिसम्बर, 99 तक) में हुए कुल आयातों में चीन का हिस्सा क्रमशः 94.2% , 100% और 97.8% रहा था । संबद्ध देश से हुए निर्यात की कीमतों में 1997-98 से आगे पर्याप्त गिरावट रही और यह गिरावट जांच अवधि में सबसे कम स्तर तक पहुंच गई । निर्यात कीमत में आई तेजी से गिरावट की बजह से पहुँच कीमत में तेजी से कमी आई और इसके बाद याचिकाकर्त्ताओं की बिक्री प्राप्ति में कमी आई । चीन से हुए आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्त्ता के बाजार हिस्से में गिरावट आई और घरेलू उत्पाद की कीमतों में कटौती हुई जिसे घरेलू उद्योग को अपनी क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा फलतः घरेलू उद्योग उसकी वसूली करने में असमर्थ रहा । अतः संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

8. लगाया गया पाटनरोधी शुल्क

प्राधिकारी ने ट्रिमेथोप्रिम (टीएमपी) के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का सावधानीपूर्वक आकलन किया है और पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उ ससे कम पाटनरोधी

शुल्क लगाने की सिफारिश की है जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । इस उद्देश्य के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमतों की तुलना संबद्ध देशें से हुए आयातों की पहुँच कीमत के साथ की है । जहाँ उक्त मार्जिन पाटन माजिर्न से कम पाया गया है वहां प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

9. अंतिम निष्कर्ष

पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-

(क) चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ट्रिमेथोप्रिम (टीएमपी) का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिससे पाटन हुआ है;

(ख) घरेलू उद्योग को क्षति हुई है;

(ग) यह क्षति संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण हुई है ;

10. प्राधिकारी चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पैरा में यथा विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अन्तर्गत आने वाले ट्रिमेयोप्रिम (टीएमपी) के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । पाटनरोधी शुल्क की राशि कालम 3 में उल्लिखित राशि और आयात के पहुँच मूल्य के बीच का अन्तर होगी ।

देश	उत्पादक/निर्यातक का नाम	धनराशि
1	2	3 (यूएसडी/किग्रा.)
चीन	सभी उत्पादक/निर्यातक	20

11. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा-आकलित निर्धारित मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3,3क, 8ख, 9 एवं 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे ।

12. उपरोक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी 31 अगस्त, 2000 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं

13. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त् अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समय दायर की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2001

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-Dumping investigations concerning import of Trimethoprim (TMP) from China.

No. 9/1/2000-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof :

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings:

(a) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified Preliminary Findings vide notification dated with regard to anti-dumping investigations concerning imports of Trimethoprim (TMP) from China and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(b) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views , if any, on the said findings within forty days from the date of the letter;

(c) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 15/12/2000. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rejoinders, if any. Only the petitioners were present at the oral hearing.

(d) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties;

(e) The arguments raised by the petitioners and other interested parties have been appropriately dealt with in the preliminary findings and/or these findings;

(f) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same, (submitted by the domestic industry alone) have been duly considered in these findings;

(g) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration in the present investigation is Trimethoprim (TMP) which is an organic chemical It is a bulk anti-bacterial pharmaceutical ingredient directly used in formulations. Formulation of TMP is used in the combination of Sulphamethoxazole. TMP goes along with the combination of Sulphamethoxazole in 1:5 ratio by weight. There is no viable substitute for Trimethoprim. The chemical formula of TMP is as under:

5-(3,4,5-Trimethoxy Benzyl) Pyrimidine-2,4-Diamine (C1H1N4 O3).

The production of TMP involves four stages, which are, addition, condensation, cyclisation and purification.

TMP is classified under dedicated customs sub-heading no. 293359.02, of Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975

The Authority confirms the preliminary findings on product under consideration.

C. LIKE ARTICLES

3 Trimethoprim (TMP) is an organic chemical. It is a bulk anti-bacterial pharmaceutical ingredient directly used in formulations. It is used particularly for treatment of urinary infections besides generalprescription. Formulation of TMP is used in the combination of Sulphamethoxazole. There is however no significant difference in terms of process, equipment or technology for the production of Trimethoprim.

In order to establish that TMP produced by the domestic industry is a Like Article to that exported from China, characteristics such as technical specifications, manufacturing process, functions and uses and tariff classification have been considered by the Authority.

The Authority also finds that there is no argument disputing that TMP produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported material and is substitutable by TMP imported from the subject country both commercially and technically. TMP produced by the domestic industry has been treated as Like Article to the product exported from China, within the meaning of Rule 2(d)

In view of the above, the Authority confirms the preliminary findings on Like Articles.

Views expressed by the Domestic Industry on Product under Consideration and Like Article:

With regard to product under consideration and like article, no objection has been raised by any interested party on the determination made by the Designated Authority in the preliminary finding. It is reiterated that Trimethoprim is being cleared under many customs sub-heading. The

Designated Authority is requested to notify the duties on all imports falling under Chapter 29 It had been the practice of the Designated Authority earlier to recommend duties on the product falling under the relevant Chapter and not on specific customs sub-classifications. Subject to the above, the Designated Authority is requested to confirm the preliminary findings with regard to product under consideration and like article.

D. DOMESTIC INDUSTRY:-

4. The petition has been filed by M/s. Alpha Drugs India Ltd., Patiala, and M/s Inventaa Chemicals Ltd., Hyderabad, alleging dumping of Trimethoprim (TMP) originating in or exported from China. The Ministry of Chemicals and Fertilisers have informed the Authority that the list of manufacturers and their production (in MT) during 1996-97, 97-98 and 98-99 as per available data is as indicated below:-

Sl.No.	Name of the Company	Installed Capacity	96-97	97-98	98-99
1.	Burroughs Wellcome	N.A.	78.65	92.35	3.60
2.	German Remedies	N.A.	3.28	0.56	NA
3.	IPCA	N.A.	19.02	NA	NA
4.	SOL Pharma	N.A.	11.93	NA	NA
5.	Inventa Chemicals	N.A.	115.94	138.12	280.17
6.	Alpha Drugs Ltd.	N.A.	140.91	134.61	201.26

(NA-not available).

Production details for the period of investigation have not been enclosed. However, judging from the pattern of production as given above, the petitioners accounted for a major proportion of the production of TMP in 1998-99.

The petitioners have stated that the production of TMP by various producers in 1999-2000 (upto Dec'99) has been as under:-

Producer	1999-2000(upto Dec'99)
Petitioners	
Alpha Drugs Ltd.	158.64 Mt
Inventaa Chemicals	138.47 Mt
Sub total	297.11
Share	73.41%
Supporter	
IPCA Labs	32.60
Petitioner & Supporter – Total	329.71
Share	81.46%
Others	

Zora Pharma	75
Total Indian Production	404.71

The petitioners alone account for 73.41% of the total production in the POI and 81.46% of the production in combination with their supporter M/s IPCA Labs as per production data submitted in the petition.

The Authorities notes that the petitioners therefore constitute "domestic industry" and have the required standing to file the present petition under the Rules.

The Authority confirms the stated position on domestic industry as given at para G 8 of the preliminary findings.

E. DUMPING:-

(A) Normal Value

Views expressed by Domestic Industry:-

In the absence of any response from the exporter/producer in China, the normal value has to be determined on the basis of best available information. Non participation by the exporters from the subject countries also confirm the domestic industry's views that the exporters were dumping the product in the Indian market.

Authority's Position:-

The Authority observes that the exporters from China have not responded to the questionnaire in the prescribed format and have not furnished information relating to normal value, export price, and dumping margin. The Authority therefore considers the exporters to be non-cooperative and has proceeded on best available information.

The petitioners had requested that the normal value in China be accepted on the basis of constructed cost of production of Trimethoprim. In the circumstances the Authority was constrained to determine the constructed cost.

The constructed normal value in China for the purpose of Final Findings is now considered to be USD ***/kg or Rs ***/kg at an average exchange rate during POI of 1USD=Rs 43.03

(B) Export Price

The cif price as per the information available with the Authority is determined at Rs ***/kg. The ex-factory export price has been determined after taking USD 0.50/kg as ocean freight (based on petitioner's experience), 0.5% as marine insurance charges, commission @2% for the agent in China, 0.5% as packing costs and 2% for port handling and port charges as per the Indian experience. However, commission @3% for the Indian indenting agent and transportation costs @ 2% likely to be incurred by the producers in China to their sea ports, as claimed by the petitioners are not allowed by the Authority for want of documentary evidence and lack of evidence based on petitioners exports, respectively.

After adjustments on these accounts the ex- factory fob export price is estimated to be Rs ***/kg or USD ***/kg at an average exchange rate of Rs 43.03=1USD.

(C)Dumping Margin:-

The Authority has followed the consistent policy of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of the anti-dumping rules. Based on the normal values and export prices as indicated above, the Authority has assessed the dumping margins in case of all exporters from China as given in the table below:-

Country	Producer/Exporter	Normal Value (USD/kg)	Export Price (USD/kg)	Dumping Margin (%)
China	All producers/exporters	***	***	87.42

F. INJURY:-

5. Argument raised by domestic industry:-

As brought out in Para B. 2 of the Preliminary Findings, and after the oral hearing, the domestic industry has stated inter alia that:-

(i) Chinese producers are exporting TMP to the Indian market for quite sometime. The exporters started reducing their prices recently, which has caused material injury to the domestic industry. It is a well known fact that manufacturers in China cannot export their goods directly. There are a number of large, medium and small trading houses who hold valid export licences. TMP is therefore, largely exported by traders in China.

(ii) More significant than the volume of imports is the price effect of imports. The exporters from China have reduced the prices significantly, as may be seen from the following table and graph:

Year	Export price
August 1996	972
Jan.1997	913
May 1997	901
June 1997	896
July 1997	874
December 1997	834
August, 1999	619
Oct. 1999	500
Nov. 1999	450
Dec. 1999	450

Source-Nov-Dec'99, Chemical Weekly & Maharishi Visveshvariya Industrial Research & Development Centre (MVIRDC periodical, World Trade Centre, Mumbai).

(iii) China and India are the two largest producers of TMP in the world. Both India and China are exporting this essential bulk drug to a number of countries. The fact that

China is dumping TMP is evident from the sheer fact that the export price of TMP from India to other countries is significantly higher than the prices at which it is being exported to India by China.

(iv) China is a major exporter of TMP to India. The share of imports from China in imports of TMP in India is predominant since 1996-97 and the same has been almost constant. The exporters from China are exporting the material at significantly dumped prices, far below the selling prices of the domestic industry.

(v) The capacity utilization of the petitioners have been dropping on account of drop in sales.

(vi) Final duties may be extended to Trimethoprim regardless of the Customs/ITC classification as imports are being cleared under a host of customs sub-headings.

(vii) None of the exporters from China have filed any response before the Designated Authority. The preliminary findings may be confirmed with regard to determination of normal value on the basis of constructed cost of production.

(viii) The Designated Authority is requested to allow the adjustments on account of commission for Indian agent and inland transportation costs in China.

(ix) There has been a significant increase in imports in absolute terms. Imports are primarily from China. There are hardly any imports from other countries. Imports from other countries are at significantly higher prices. Imports are causing severe price undercutting.

(x) Reduction in prices in 1998-99 helped the domestic industry in increasing sales However, as a direct consequence, profitability of the companies got adversely affected. The petitioner companies were forced to higher losses or losses from a situation of profits as a result of these declining prices.

(xi) The non-injurious price determined for the purpose of preliminary findings appears to be on the lower side and hardly covers the cost of production of the domestic industry in the investigation period. It is requested that a suitable enhancement in the non-injurious price may kindly be considered

(xii) All economic parameters, collectively and cumulatively, establish that the domestic industry has suffered material injury from the dumped imports from China. The Designated Authority is requested to confirm the preliminary findings in this regard.

6. INJURY

For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, quantum of sales, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance wire Annexure II (iv) of the rules supra, the details of which as brought out in the Preliminary Findings are reproduced below:-

(a) Quantum of Imports

As per secondary source
Quantity (kg.)

	1997-98	1998-99	1999-2000-upto Dec. 99
Total imports	28,429	1575	23,903
China	26,799	1575	23,381
Other countries	1630 (Italy)		522 (U.K.)

The increase in the total imports of TMP was 1417% in 1999-2000 (upto Dec. 2000) over 1998-99. Thus the quantum of imports have gone up significantly during the period of investigation.

The quantum of imports from China have gone up by 1384.5% in 1999-2000 (upto Dec. 99) over 1998-99. Imports in 98-99 were exclusively from China. The share of China in total imports was 94.2%, 100% and 97.8% in 1997-98, 1998-99 and 1999-2000, (upto Dec.99) respectively.

(b) Production and Capacity Utilisation

The production capacity, actual production and capacity utilisation of the petitioners was as follows: -

Petitioners	Year	Installed Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilisation %
Alpha Drugs	1997-98	240	134.62	56.09
Inventaa		300	300	100
Total		540	434.62	80.4
Alpha	1998-99	240	200.75	83.65
Inventaa		300	209.33	69.77
Total		540	482.75	89.39
Alpha	1999-2000 (uptoDec,99)	180	158.64	88.13
Inventaa (increased its capacity from 300MT to 450MT)		337	138.47	41.08
Total		517	297.11MT Annualised 396.14MT	57.46% Annualised 76.61%

While there has been an increase in the installed capacity of the petitioner, production and capacity utilisation of domestic industry has declined in the period of investigation.

(c) Sales and Market Share

It is observed that the demand of TMP was 4,50,438 KG, 5,49,806 KG and 3,70,628 KG in 97-98, 98-99 and 99-2000 (upto Dec 2000) respectively. The annualized demand for the POI is 4,83,504 KG. The share of imports in total demand was 6.1%, 0.29% and 6.6% in 97-98, 98-99

and 99-2000 (upto Dec. 99) respectively. The share of the petitioner was 58.77%, 66.81% and 71.17% in 97-98, 98-99 and 99-2000 (upto Dec.99) respectively.

The sale of TMP below cost of production resulted in heavy loss of profit to the petitioner. Sales prices (Rs/kg) were as follows:-

Petitioners	97-98	98-99	99-2000(POI)
Alpha			
Selling Price	***	***	***
Inventaa			
Selling Price	***	***	***

Unit selling prices have therefore showed a declining trend.

(d) **Closing Stocks**

It is observed that the closing stocks of the petitioner went up by 124% in 97-98 over 96-97. They declined in 98-99 and 99-2000 from the level of closing stocks in 97-98. Alpha Drugs accounted for 61.26% of closing stocks in the POI, while Inventaa accounted for 38.73%.

Closing Stocks (MT)	96-97	97-98	98-99	99-2000 (POI)
Alpha Drugs	20.59	24.49	20.74	15.91
Inventaa	1.88	3.57	5.97	10.06
Total	22.47	28 06	26.71	25.97

(e) Price undercutting and price depression

The petitioner has stated that the selling prices of the domestic industry have declined by about 35%. The present prices are insufficient to recover the full costs and are significantly below the notified prices by the Government of India under the Drug Price Control Order (DPCO). The prices are below not only the DPCO but also the cost of production, resulting in severe financial losses to the domestic industry. Further, the imports from the subject country are significantly undercutting the prices of the domestic industry as the landed price of the imported material is below the selling price of the domestic industry as illustrated in the table below:-

Rs/kg

Year	Sales Realisation	Landed Price of Imports
1997-98	***	1023
1998-99	***	1279
1999-2000	***	682

(f) Profitability:-

The domestic industry has been forced to reduce its selling prices below its cost of production, resulting in substantial financial losses. The injury to the domestic industry is evident from the per unit profit/loss made by the industry from sales in the domestic markets, as shown below:-

Rs/kg	97-98	98-99	99-2000 (POI)
Alpha Drugs			
COP	***	***	***
Selling Price	***	***	***
P/L	(103)	(191)	(183)
Inventaa			
COP	***	***	***
Selling Price	***	***	***
P/L	78.76	55.80	(249.67)

In view of the foregoing the Authority confirms the conclusions on injury at Para K.13 of the Provisional Findings and reiterates that:-

(a) the quantum of imports from the subject country have increased in absolute terms;
(b) the market share of the petitioners have gone down while that of imports has increased;
(c) the capacity utilisation of the petitioners have gone down ;
(d) the petitioners have been forced to sell at prices below their non-injurious price resulting in losses;
(e) imports are undercutting the prices of the domestic industry;
(f) the domestic industry is left with substantial closing stocks.

The Authority therefore concludes that the domestic industry has suffered material injury.

7. Causal Link

The Authority holds that the material injury to the domestic industry has been caused by imports from the subject country. China is the main exporter of Trimethoprim to India and there has been a tremendous increase in import volumes from China prior to and in the period of investigation. As already noted, the share of China in total imports was 94.2%, 100% and 97.8% in 1997-98, 1998-99 and 1999-2000, (upto Dec.99) respectively. Export prices from the subject country have been declining significantly from 1997-98 onwards reaching an all time low in the POI. The sharp reduction in the export price resulted in steep reduction in the landed price followed by reduction in sales realisation of the petitioners. The increase in the market share of imports from China resulted in the decline in the market share of the petitioner and undercut the prices of the domestic product forcing the domestic industry to sell below its non-injurious price which resultantly, the domestic industry was unable to recover. The material injury to the domestic industry was therefore caused by the dumped imports from the subject country.

8. Anti-Dumping duty imposed:-

The Authority has carefully evaluated the injury caused to the domestic industry on account of dumping of Trimethoprim (TMP) and has recommended the amount of anti-dumping duty equivalent to the dumping margin or less, which if levied, would remove injury to the domestic industry. For this purpose, the Authority has compared the non-injurious selling price of the domestic industry with the landed value of imports from the subject countries. Wherever the margin is found to be less than the dumping margin, the Authority has recommended duty lower than the dumping margin.

9. FINAL FINDINGS:-

The Authority after considering the foregoing, concludes that:

(a) Trimethoprim (TMP) originating in or exported from China has been exported to India below normal value, resulting in dumping;

(b) the domestic industry has suffered injury;

(c) injury has been caused by imports from the subject country.

10. The Authority recommends imposition of definitive Anti-dumping duty on all imports of Trimethoprim (TMP) falling under Chapter 29 of the Customs Tariff Act as specified under the para relating to product under consideration originating in or exported from China. The anti-dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in Col.3. and the landed value of imports.

Country	Name of the producer/exporter	Amount
1.	2.	3. (USD/kg)
China	All producers/exporters	20

11. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

12. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 31St August, 2000.

13. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 – 2001